बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019–20 अन्तर्गत नवीन एवं नवीकृत छात्रवृत्ति हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना।

पात्रता :

1. बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
2. प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् हों।
3. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा हों।

अहर्त्ता :

1. माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 1.50 लाख (रुपये एक लाख पचास हजार) मात्र।
2. केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत् हो।
3. केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् हो।
4. छात्र/छात्रा एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नही होंगे। यथा आई. एस. सी./आई कॉम. की परीक्षा उतीर्ण होने के बाद आई. ए., बी.ए./बी.एस.सी. की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर बी.कॉम. एवं एम.एस.सी./एम.कॉम. की परीक्षा उतीर्ण होने के बाद एम.ए. कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
5. एक माता–पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा।
6. यदि किसी छात्र/छात्रा को अन्य संस्थानों/योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत दोहरा लाभ अनुमान्य नहीं होगा। छात्र/छात्रा एक से अधिक छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त होने पर किसी एक का ही चयन कर सकते हैं।
7. आवेदक के पास भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्रता होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता http://bcebcwelfare.bih.nic.in, http://socialjustice.nic.in एवं http://education.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति के अन्तर्गत देय राशि :

1. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन मार्गदर्शिका (वर्ष 2018) एवं बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक–590, दिनांक–27.03.2017 एवं ज्ञापांक 844 दिनांक 11.04.2018 के दर के आलोक में।

आवेदन की प्रक्रिया :

1. आवेदन पत्र ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे। किसी अन्य विधि से प्राप्त कोई आवेदन मान्य नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में National Scholarship Portal Version 2.0 (NSP-2.0) के वेबसाईट **https://scholarships.gov.in** पर उपलब्ध है।

3. National Scholarship Portal के Home Page पर State Schemes को चयन करने के पश्चात Post-Matric Scholarship– Bihar के अन्तर्गत Apply करेंगे।

4. छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय छात्र/छात्रा उसी संस्थान का नाम चयन करें जिसमें वो अध्ययनरत् हों।

5. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र का हार्ड कॉपी के साथ सभी वांछित दस्तावेजों को दो प्रतियों में संलग्न कर अध्ययनरत् संस्थान में जमा करेंगे।

6. संस्थान एक प्रति Acknowledgement के रूप में आवेदक को वापस करेंगे तथा दूसरी प्रति को Online सत्यापन/अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपने पास रखेंगे।

7. सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों को सत्यापनोपरांत ऑनलाईन अग्रसारित करना अनिवार्य है।

8. विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नं0–0120–6619540 एवं शिक्षा विभाग के दूरभाष नं0 0612–2215181 पर संपर्क किया जा सकता है।

9. निर्धारित तिथि तक आवेदन करना अनिवार्य है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेजः–

1. विगत वर्ष का अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र।
2. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत माता–पिता/अभिभावक का अद्यतन (विज्ञापन प्रकाशन से एक वर्ष के अन्दर निर्गत) आय प्रमाण पत्र।
3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।
4. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र।
   (बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) के तहत निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।)
5. आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में अपने बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता संख्या अंकित करने के पश्चात् साक्ष्य के रूप में स्कैन किया गया पासबुक का प्रथम पृष्ठ अथवा Cancelled Cheque संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही संस्थान का आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता संख्या भी अंकित किया जाय।
6. आधार कार्ड का स्कैन कॉपी।
7. उक्त सत्र का शुल्क की प्राप्ति रसीद।
8. आवेदक का फोटोग्राफ।

आवेदन करने की तिथि :

1. छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि–13.03.20 तक।
2. निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12/2/2020

सरकार के उप सचिव।

Scanned by CamScanner